2024/107

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111–128	49/24	11/3/2024	29/4/24	15/4/2024

अनवान

श्री मोहनलाल S/o जीतमल जाति धाकड़ श्री अशोक कुमार S/o भंवरलाल जाति धाकड़

निवासी बिजौलिया खुर्द, तह. बिजौलिया निवासी थड़ोदा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री रामफूल धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

मोहनलाल बनाम अशोक कुमार

किस्म मुकदमा — ...111—128... नम्बर ...49... / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.3 /2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 15/4 / 2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
15/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उचित आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद-तामील प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 29/04/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	
29/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध पूर्व में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए थे। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 11/03/24

प्रकरण संख्या :– 49/24

01. मोहनलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. मनोज पुत्र सत्यनारायण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. अनिल पुत्र सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां जिला भीलवांडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भैंरू पुत्र चमना जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मानगढ़ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. विमल कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति वैष्णव उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. आसाराम पुत्र लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

दिनांक: 29/04/24

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र **मोहनलाल पुत्र जीतमल, मनोज पुत्र सत्यनारायण, अनिल पुत्र सुगनलाल जाति धाकड निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा मानगढ़ पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द में स्थित खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 194/140 रकबा 1.1979 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा मानगढ़ पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द में स्थित खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 194/140 रकबा 1.1979 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियां)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 11/03/24

प्रकरण संख्या – 49/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......49......... / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. मोहनलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. मनोज पुत्र सत्यनारायण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. अनिल पुत्र सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भैंरू पुत्र चमना जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मानगढ़ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. विमल कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति वैष्णव उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. आसाराम पुत्र लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा मानगढ़ पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द में स्थित खाता संख्या 18 पर अंकित आराजी संख्या 194/140 रकबा 1.1979 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीसं वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)